न्यायालय अपर समाहर्त्ता, रोहतास (सासाराम)

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 54/2017

रंग बहादुर सिंह एवं अन्य बनाम रामप्रवेश पासवान एवं अन्य।

आदेश

26.12.20

आवेदक रंग बहादुर सिंह पिता स्व0 जगन्नाथ सिंह वो धमेन्द्र सिंह पिता स्व0 राजेश्वर सिंह ग्राम मलावं थाना सासाराम (दरिगॉव) जिला रोहतास द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण हेतु दाखिल आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तुत जमाबंदी रद्दीकरण वाद सुनवाई हेतु पंजीकृत हुआ। जिसमें विवादित भूमि का विवरण इस प्रकार है:–

मौजा/थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा
सोनगॉव/308	148 (आर0एस0)	1218	0.78 ए0
		1219	1.10 ए0

वाद के विचारण के दरम्यान प्रतिपक्षी को सूचना निर्गत की गई तथा उभय पक्षों द्वारा विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया। आवेदक का कहना है कि मौजा सोनगावां थाना नं0 308 खाता सं0 148 खेसरा सं0 1218 एवं 1219 क्रमशः रकबा 0.78 ए0, 1.10 ए0 का रिविजनल सर्वे खतियान रामधारी सिंह पिता जानकी सिंह निवासी मलावं के नाम से दर्ज है। रामधारी सिंह के वंशज द्वारा खाता सं0 148 में से किसी प्रकार के भूमि का बिक्री नहीं किया गया है और उक्त जमीन आवेदकगण के शांति पूर्ण दखल कब्जा में है। आवेदक का यह भी कहना है कि खाता सं0 148 का खेसरा सं0 1218 रकबा 0.23½ ए0 एवं खेसरा सं0 1219 रकबा 0.55 ए0 यानि कुल 0.78½ का गलत एवं अवैध जमाबंदी विपक्षी सं0 01 राम प्रवेश पासवान के नाम से संधारित हो गया है जिसका जमाबंदी सं0 18/II कायम किये है। इसी प्रकार खाता सं0 148 खेसरा सं0 1218 रकबा 0.55½ ए0 एवं खेसरा सं0 1219 रकबा 0.55 का जमाबंदी विपक्षी सं0 02 वंशरोपण बिन्द के नाम से संधारित कर दिया गया है जिसका जमाबंदी सं0 67/II दर्ज पाया है जो जमाबंदी रैयत रामधारी सिह का जमाबंदी विलुप्त कर संधारित किया गया है। आवेदक द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम अन्तर्गत मांगी गयी सूचना के आधार पर उल्लेख किया है कि जमाबंदी सं0 18/II केवाला सं0 12805 दिनांक 18.10.1994 के आधार पर संधारित किया गया है। केवाला सं0 12805 दिनांक 18.10.1994 का खोज–बीन कर जानकारी प्राप्त किया की बिक्री जायदाद का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा/थाना नं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा
सोनगावां/308	82	828	0.12 ए0
		829	0.21 ए0
		830	0.22 ए0
	123	873	0.23½ ए0
कुल			0.78½ ए0

उक्त केवाला 18.10.1994 का है जिसमे खाता सं0 82 एवं 123 अंकित है जिसको खाता सं0 148 से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। केवाला में वर्णीत जायदाद से बिलकुल स्पष्ट है कि खाता सं0 82 एवं 123 से

0.78½ एं भूमि खरीद की गई है लेकिन जमाबंदी सं0 18/II पर खाता सं0 148 खेसरा सं0 1218 एवं 1219 रकबा क्रमशः 0.23½ एव एवं 0.55 एवं यानि कुल 78½ डी0 दर्ज कर दिया गया है जो अवैध एवं बेबुनियाद है और विपक्षी सं0 01 के तर्क से अलग है। विपक्षी सं0 01 गलत एवं गैर कानुनी ढंग से खाता सं0 148 पुराना खाता सं0 82 एवं 123 से निर्मित होने का झुठा कथन किये है जो निराधार है केवाला 18.10.1994 का है जो रिविजनल सर्वे प्रकाशन के 24 वर्ष बाद का है और केवाला बयनामा सं0 12805 दिनांक 18.10.1994 में पुराना खाता एवं पुराना खेसरा अंकित होने की बात कहीं दर्ज नहीं है बल्कि यह तर्क विपक्षी सं0 01 द्वारा गलत तरीके से जमाबंदी कायम करा लिया गया है। अतएव आवेदक द्वारा विपक्षी के नाम से कायम जमाबंदी सं0 18/II एवं 67/II रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष सं0 01 का कहना है कि आवेदक का आवेदन मेन्टेबुल नहीं है। आवेदकगण को जमाबंदी रद्दीकरण वाद दायर कारने को कोई आधार ही नहीं है। आवेदकगण द्वारा परेशान करने की नियत से वाद दायर किया गया है। आवेदन में आवेदक द्वारा भिन्न व्यक्तियों को विपक्षी बनाया गया है जिसका अलग–अलग अस्तित्व है। आवेदक का कथन कंडिका 1 एवं 02 सही है। लेकिन कंडिका 03 में जो बंशावली दी गयी है उसके बारे में विपक्षी को कोई जानकारी नहीं है। पुराना खाता 82 पुराना खेसरा 828,829,830 है। लेकिन उसका रकबा कमशः 12 डी0, 21 डी0 वे 22 डी0 नहीं है वे खाता 123 खेसरा सं0 73 रकबा 22½ डी0 नहीं है। तथा यह भी गलत है कि रिविजनल सर्वे खेसरा सं0 1218 सी0एस0 870 से बना है। विपक्षी सं0 01 का यह भी कहना है कि आवेदक के पूर्वज का रिविजनल सर्वे खतियान बनने के समय से दखल–कब्जा जोत–कोड़ नहीं था वो न उनके स्वर्गवास के बाद आवेदक का दखल–कब्जा जोत–कोड़ हुआ है। विपक्षी खरीफ सीजन में कभी खेसरा सं0 1218 एवं 1219 पर वसीका बयनामा के आधार पर दावा करने लगे वे न किये बल्कि सच्चाई यह है कि स्व0 रामधारी सिंह पिता जानकी सिंह मौजा सोनगावां थाना 308 पुराना खाता सं0 82 तौजी नं0 5424 खेसरा सं0 828 में रकबा 24 डी0 खेसरा सं0 829 रकबा 42 डी0 , खेसरा सं0 830 रकबा 44 डी0 खाता सं. 123 खेसरा सं0 873 रकबा 47 डी0 कुल 1 एकड़ 57 डी0 में आधा भाग 78½ डी0 जमीन मो 400 चार सौ रूपया लेकर दिनांक 20.11.1965 को केवाला बयनामा सं0 10927 से दुलहिन शनीचरी पति डोमा साह ग्राम सेमारी को बिक्री कर दखल कब्जा जोत केड़ दे दिया था जबकि रिविजनल सर्वे 30 मार्च 1970 को प्रकाशन हुआ तब यह कहना कि रिवजिनल सर्वे के समय स्व0 रामधारी सिंह का जायदाद पर दखल–कब्जा था यी पूर्णतः गलत है। आवेदक द्वारा सूचना अधिकार अन्तर्गत मांगी गयी सूचना के आधार पर आवेदक का दावा पूर्णतः गलत है। बल्कि सच्चाई यह है कि आवेदक के पूर्वज स्व0 रामधारी सिंह पिता जानकी सिंह कैडेस्ट्रल सर्वे खाता सं0 82 खेसरा सं0 828,829,830 रकबा 24,42,44 डी0 एवं खाता 123 खेसरा सं0 873 रकबा 47 डी0 कुल 1 एकड़ 57 डी0 का आधा हिस्सा यानि 78½ डी0 भूमि 20.11.1965 को मो0 400 रूपया लेकर दुलहिन शनिचरी पति डोमा साह ग्राम सेमरी को केवाला बैनामा कर दखल–कब्जा जोत–कोड़ दे दिये । दुलहिन शनीचरी खरदगी जायदाद जो मो0 1000 एक हजार रूपया लेकर दिनांक 25.07.1987 को वजरिये के वाला बयनामा वसीका सं0 10022 से गुलाब साह वो प्रभात साह पिता स्व0 घुरफेकन साह सोनगावां को किमत देकर निबंधित केवाला बयनामा कर दखल–कब्जा जोत–कोड़ केता के हवाले कर दिया । वाद में गुलाब साह वे प्रभात साह उक्त एराजी को दिनांक 18.10.1994 को वजरीये केवाला वासीका सं0 12805 से मो0 बीस हजार रूपया लेकर केवाला बयनामा राम प्रवेश पासवान पिता स्व0 गणेश पासवान को कर दिये वो दखल–कब्जा विपक्षी सं0 01 के हवाले कर दिये। उसी समय से विपक्षी का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा चला आ रहा है। केवाला बयनामा के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल–खारिज के उपारान्त जमाबंदी कायम किया गया है तथा राम प्रवेश पासवान के नाम से सरकारी लगान कटता आ रहा है। स्पष्ट है कि स्व0 रामधारी सिंह पिता जानकी सिंह द्वारा बिक्री करने के बाद

26/2/20

कभी भी उनके वारीसान का दखल—कब्जा नहीं रहा है। विपक्षी को गरीब कमजोर अनुसूचित जाति समझकर परेशान किया जा रहा है। अतएव विपक्षी द्वारा वाद खारीज करने का अनुरोध किया गया है।

निष्कर्ष एवं आदेशः—उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सूना एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। आवेदक के दावा का मूल आधार है कि रिविजन सर्वे में वर्णित भूमि का उनके अनुसार उनके पुर्वजों द्वारा कोई बिकी नहीं की गई और जमाबंदी से जमाबंदी रैयत का नाम अवैध तरीकें से विलोपित कर दिया गया ।

विपक्षीगण द्वारा अपने नाम निर्मित जमाबंदी के सर्मथन में निबंधित दस्तावेज एवं उससे संबंधित Intermediary निबंधित दस्तावेज का प्रमाण प्रस्तुत करते है जिससे Record tenant के पुर्वजों से विभिन्न दर केवाला के माध्यम से विपक्षी गण को प्राप्त हुआ। इसी आधार पर अंचल कार्यालय के नामान्तरण वाद द्वारा पारित आदेश के अनुरूप जमाबंदी कायम एवं लगान रसीद निर्गत हो रहा है। आवेदक द्वारा अक्षेपित एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत Registered sale deed के दावा को null & void धाषित करने हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि आवेदक निर्विवाद रूप से अपना दावा स्थापित नहीं कर पाए। अतएव जमाबंदी रद्दीकरण वाद खारीज किया जाता है।

आदेश से सभी पक्षों को अवगत करा दी जाए।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
रोहतास (सासाराम)।

अपर समाहर्त्ता,
रोहतास (सासाराम)।

ज्ञापांक - 1721/न्या०, दिनांक - 28/12/20

प्रतिलिपि - अंचल अधिकारी, सासाराम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित

प्रतिलिपि - जिला सूचना एवं विज्ञान पदा० (NIC) रोहतास सासाराम को सूचनार्थ, जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/12/20
अपर समाहर्त्ता,
रोहतास, सासाराम।